हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की तामील

08/06/23

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश
प्र० पत्र अपील हेतु प्रशासन गांवो
संघ अभियान 2023 के ग्रा. पं. पाड़ा
में पेश हुई। अपील अपीलान्ट
स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक
से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली फैसल शुमार
होकर रजिस्टर से कम की जावे।
बाद पूर्ति दफ्तर दाखिल हो।

Vay
SDO

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

(पीठासीन अधिकारी : नवज्योति कंवरिया, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या : 12/6/22 तारीख दायरा : 14.07.2022

उनवान

1. बृजमोहन शर्मा पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण आयु 61 वर्ष निवारी भूडा तहसील रैणी अलवर।

.................अपीलाण्ट।

बनाम

1. ग्राम पंचायत भूडा, पंचायत समिति – रैणी (अलवर) जरिए सरपंच
2. श्रीमान तहसीलदार साहब, रैणी अलवर
3. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर महोदय, अलवर राज.

..................रेस्पो0।

(अपील विरुद्व आदेश दिनांक 15.08.2001 इतंकाल संख्या 238 ग्राम पंचायत भूडा)

न्यायालय द्वारा :–

::निर्णय:: दिनांक 08.06.2023

1. अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट्स के पिता स्व. गिर्राज की खातेदारी की आराजी हाल खाता संख्या 40 आराजी खसरा नं. 325/30, 326/2656/.23, 654/.27, 657/.15, 659/.13 वाके ग्राम भूडा पटवार हल्का भूड़ा तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित है। अपीलाण्ट के पिता गिर्राज प्रसाद का स्वर्गवास हो चुका है तथा अपीलांण्ट के पिता गिर्राज प्रसाद का स्वर्गवास होने के बाद अपीलाण्ट के पिता गिर्राज प्रसाद की आराजी वर्णित की विरासत का इन्तकाल ग्राम पंचायत भूडा द्वारा इन्तकाल सं. 238 दिनांक 15.08.2001 को दर्ज कर स्वीकार फरमाया गया है ताईद में नकल इन्तकाल पेश है जिसमे अपीलाण्ट का नाम बृजमोहन शर्मा के स्थान पर राजेन्द्र कर दिया गया जबकि अपीलाण्ट का नाम बृजमोहन शर्मा ही है। अपीलाण्ट के अन्य दस्तावेज, यथा

पहचान–पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में भी इनका नाम बृजमोहन शर्मा ही दर्ज
है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाते हुए उक्त आराजी की जमाबंदी में
अपीलाण्टस का त्रुटिपूर्ण नाम राजेन्द्र के स्थान पर बृजमोहन शर्मा दर्ज किया जाना
सर्वथा न्यायोचित है। अपीलाण्ट काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिनके द्वारा केंद्र सरकार
द्वारा किसानों के लिए घोषित किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभान्वित होने
आवेदन किया गया जिस पर संबंधित कार्यालय द्वारा अपीलाण्टस से आराजी की
जमाबंदी चाही गई। जिस पर अपीलाण्ट द्वारा उक्त आराजी की हाल कि उक्त
आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में उनके वास्तविक नाम बृजमोहन शर्मा के स्थान पर
राजेन्द्र नाम दर्ज है इस कारण उक्त त्रुटिपूर्ण नाम के संशोधन के लिए अपीलाण्ट द्वारा
उक्त अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अन्त में निवेदन किया
है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 15.08.2001 रेस्पोंडेंट सं.
1 ग्राम भूडा पंचायत समिति रैणी अलवर जिनके द्वारा अपीलाण्ट की पूर्वजों की आराजी
हाल खाता संख्या 40 आराजी खसरा नं. 325/30, 326/2656/.23, 654/.27,
657/.15, 659/.13 में से हिस्सा 1/6 वाके ग्राम भूड़ा तहसील रैणी का इन्तकाल सं.
238 में अपीलाण्डस का नाम राजेन्द्र के स्थान पर बृजमोहन शर्मा दर्ज किये जाने के
आदेश प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही उक्त आशय से आराजी के राजस्व रिकॉर्ड
में भी दुरूस्ती कराई जावें।

2. अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जर्ये नोटिस तलब किया
गया। रेस्पोंडेंन्ट उपस्थित न्यायालय आये।

3. योग्य अधिवक्ता अपीलाण्ट को सुना गया। अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट के
पिता स्व. गिर्राज की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2073–75 हाल खाता संख्या 40
आराजी खं. नं. 325/30, 326/2656/.23, 654/.27, 657/.15, 659/.13 कुल
किता 5 रकबा 1.08 वाके ग्राम भूडा तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित है। जो
आराजी रेस्पोंडेट संख्या 1 द्वारा दिनांक 15.08.2001 को मृतक गिर्राज की विरासत का
इंतकाल संख्या 238 अपीलाण्टस व उनके अन्य परिवारजन के पक्ष में दर्ज कर स्वीकार
फरमाया गया। किन्तु रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा सहवन से अपीलाण्ट का नाम बृजमोहन
शर्मा व पिता स्व. गिर्राज प्रसाद के स्थान पर राजेन्द्र व पिता स्व. गिर्राज प्रसाद कर
दिया गया। जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम बृजमोहन शर्मा व अपीलान्ट के पिता
का नाम गिर्राज प्रसाद शर्मा है। जो नाम ही अपीलान्ट के अन्य के दस्तावेज यथा
पहचान–पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में भी इनका नाम बृजमोहन शर्मा ही दर्ज
है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाते हुए उक्त आराजी की जमाबन्दी
में अपीलान्ट के त्रुटिपूर्ण नाम राजेन्द्र के स्थान पर बृजमोहन दर्ज किये जाने का
निवेदन किया है। अपीलान्ट द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत

2073–75, इन्तकाल संख्या 238, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, प्रार्थी का सीनीयर उच्च माध्यमिक विद्यालय मण्डावर जिला–सवाईमाधोपुर स्थानान्तरण पत्र की छाया प्रति पेश की है। सरपंच ग्राम पंचायत भूड़ा द्वारा भी यह प्रमाणित किया गया है कि ''बृजमोहन शर्मा पुत्र श्री गिर्राजप्रसाद शर्मा जाति ब्रहामण निवासी–भूड़ा, ग्राम पं. भूड़ा के रहने वाले है इनका नाम दस्तावेजो में बृजमोहन शर्मा है परन्तु विरासत इन्तकाल में सहवन से राजेन्द्र दर्ज कर दिया गया है वह गलत है इनका नाम आधारकार्ड, फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैक पासबुक में बृजमोहन शर्मा है श्रीमान इनका राजस्व रिकॉर्ड में राजेन्द्र के स्थान पर बृजमोहन शर्मा पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद दर्ज करने की अभिषषा की जाती है। श्रीमान राजेन्द्र नाम इनका नही है सहवन से राजेन्द्र दर्ज हो गया। शुद्व करने की कृपा करे।'' रेस्पोंडेंट संख्या 2 तहसीलदार रैणी द्वारा भी यह प्रमाणित किया गया है कि ''राजस्व ग्राम – भूडा के खाता संख्या 40 में वादी का नाम राजेन्द्र, वक्त विरासत इंतकाल से ही चला आ रहा है जबकि वादी के मूल कागजातों में नाम बृजमोहन पुत्र गिर्राज है। मुताबिक कार्यालय ग्राम पंचायत, भूडा के बृजमोहन व राजेन्द्र एक ही व्यक्ति है। अतः राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजेन्द्र की जगह बृजमोहन शुद्व किया जाना उचित है।''

4. बहस अपीलाण्ट अधिवक्ता सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा योग्य अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2073–75, इन्तकाल संख्या 238, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत भूड़ा व तहसीलदार रैणी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की और से प्रस्तुत दस्तावेज व रेस्पोडैन्ट की और से प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट से अपील अपीलान्ट सही होने की पुष्टि होती है तथ रेस्पोडैन्ट की और से प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पाई जाती है। अतः

आदेश है कि

अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा इतंकाल संख्या 238 आदेश दिनांक 15.08.2001 ग्राम पंचायत भूडा को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रैणी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये अपीलाण्ट के वास्तविक नाम की सम्यक जॉच कर पुनः

विधिसम्मत इतंकाल निर्णित करें। निर्णय प्रति तहसीलदार रैणी को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2023 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्राकिंत कर प्रशासन गांवो संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत पाड़ा तहसील रैणी में सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी रैणी
जिलाः– (अलवर)